

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 04/2025

दायर दिनांक - 02.01.2025

सनवाल

1. कनु पति भोसू भील नि. डोई का खेड़ा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।

----- (पार्थी)

बनाम

1. महावीर पिता सोहन नाई नि. डोई का खेड़ा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।
2. दूदा पिता भुवना चमार नि. डोई का खेड़ा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।
3. गीता पति रामस्वरूप कुम्हार नि. नया सरसुन्दा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।
4. मंजु पति प्रहलाद कुम्हार नि. नया सरसुन्दा तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।
5. अर्जुन लाल पिता लक्ष्मण चमार नि. डेलास तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।
6. धनराज पिता लक्ष्मण चमार नि. डेलास तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।
7. रामलाल पिता भैरु चमार नि. डेलास तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।
8. लोकेश पिता नानाराम चमार नि. डेलास तहसील फुलियाकला जिला भीलवाड़ा।

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता----- श्री योगेश आगाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

आदेश

दिनांक - 11.09.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम डेलास पटवार मण्डल डेलास भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 13 के आ.न. 59, 60, 60/1236 कुल किता 03 कुल रकबा 01.4200 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा विह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम डेलास पटवार मण्डल डेलास भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फुलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 13 के आ.न. 59, 60, 60/1236 कुल किता 03 कुल रकबा 01.4200 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक कनेछनकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढ़ी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढ़ी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोटक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकला, जिला भीलवाड़ा